न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 10/2017

दायर दिनांक – 08.09.2017

निर्णय दिनांक – 23.12.2021

जीसीएमएस नं0 – 2017/00036

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व श्री विजेन्द्र सिंह जाति रावत निवासी गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर। 2. श्रीमती भंवरी देवी पत्नी स्व श्री शंकर सिंह जाति रावत निवासी गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति– 1. श्री जगदीश चौधरी, अधि0, प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131 सपठित धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर स्थित कृषि भूमि के वर्तमान खसरा नंबरान 614, 613/2357, 616/2358, 614/2361 का वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस को चौसाला व वर्किंग नक्शा ट्रेस की स्थिति के अनुसार दुरुस्त कर तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:37:28 IST
Reason: SelfAttested

23.12.21

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार पुष्कर द्वारा पत्र क्रमांक/तह. पुष्कर/कोर्ट/2021/2204 दिनांक 01.11.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि " ग्राम गनाहेड़ा के वर्किंग खसरा नम्बर 730, 731, 566 व 566/2042 के वर्तमान नक्शे एवं चौसाला नक्शे व वर्किंग नक्शे में काफी भिन्नता है। तीनों नक्शों का तुलनात्मक नक्शा ट्रेस करने पर पाया तीनों नक्शों में ही वर्किंग खसरा नम्बर 730, 731, 766 में काफी अन्तर है। यदि एक खसरे की सरहद/मेड़ में परिवर्तन किया जाता है तो समस्त अडौसी–पडौसी खसरा नम्बरान प्रभावित होते है। अतः उक्त दुस्स्ती भू–प्रबन्ध विभाग (नया सेटलमेन्ट) होने से ही किया जाना उचित है, ताकि प्रार्थी खातेदारन के साथ अडौसी–पडौसी खातेदारान की राजस्व मानचित्र दुरूस्ती भी हो सकें। अगर केवल प्रार्थी खातेदारान के वर्तमान खसरा नम्बरान की वर्तमान राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती की जाती है तो अन्य पडौसी खातेदारन के हिस्से पर भी प्रभाव पड़ता है। नए सेटलमेन्ट के दरम्यान सम्पूर्ण ग्राम की तफावत दूर होने के पश्चात ही नक्शा दुरूस्ती संभव है। अतः प्रकरण में दुरूस्ती किया जाना संभव नहीं है।"

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, जमाबंदी की नकल एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि राजस्व ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान खसरा नंबरान 614, 613/2357, 616/2358, 614/2681 के वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस को चौसाला व वर्किंग नक्शा ट्रेस की स्थिति के अनुसार दुरूस्ती करने पर अन्य पड़ौसी खातेदारान के हिस्से पर भी प्रभाव पड़ता है। अतः प्रकरण में दुरूस्ती किया जाना संभव नहीं है। तहसीलदार पुष्कर को निर्देशित किया जाता है कि नए सेटलमेन्ट के दौरान उक्त दुरूस्ती को प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार दुरूस्त करवाये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:37:28 IST
Reason: SelfAttested

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार/खारिज किया जाता है। राजस्व ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला

23.11.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

पर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के राजस्व ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान खसरा नंबरान 614, 613/2357, 616/2358, 614/2681 के वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस को चौसाला व वर्किंग नक्शा ट्रेस की स्थिति के अनुसार दुरूस्ती करने पर अन्य पड़ौसी खातेदारान के हिस्से पर भी प्रभावित होने के कारण प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना संभव नहीं हैं। तहसीलदार पुष्कर को निर्देशित किया जाता है कि नए सेटलमेन्ट के दौरान उक्त दुरूस्ती को प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार दुरूस्त करवाये। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2021 को मेरे द्वारा सरे–इजलास सुनाया गया।

23.12.21

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर ए एस)
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:37:28 IST
Reason: SelfAttested